**भारत सरकार**

**वस्‍त्र मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 3978**

**2 अप्रैल, 2018 को उत्‍तर दिए जाने के लिए**

**सिले-सिलाए परिधानों का निर्यात**

**3978. श्री नारायण लाल पंचारियाः**

**क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

**(क)** क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान कृत्रिम रेशों से बने सिले-सिलाए परिधानों के निर्यातों में बढ़ोतरी हेतु कोई कदम उठाए हैं;

**(ख)** यदि हां, तो **तत्संबंधी** ब्यौरा क्या है;

**(ग)** क्या उठाए गए इन कदमों के परिणाम स्वरूप परिधानों के निर्यात में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई है; और

**(घ)** यदि हां, तो **तत्संबंधी** ब्यौरा क्या है एवं यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**वस्‍त्र राज्‍य मंत्री**

**(श्री अजय टम्‍टा)**

**(क) और (ख):** जी, हां। मानव निर्मित फाइबर से बने परिधानों सहित सिले-सिलाए परिधानों (आरएमजी) के निर्यात को बढ़ाने के उद्देश्‍य से सरकार ने जून, 2016 से अपैरल क्षेत्र के लिए एक विशेष पैकेज घोषित किया है। उक्‍त पैकेज के लिए राज्‍य लेवियों की छूट एक महत्‍वपूर्ण संघटक है जिसके तहत राज्‍य लेवियों/करों में छूट दी जा रही है। इस योजना को शुरू किए जाने से लेकर अब तक परिधान निर्यातकों को कुल 1955 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। सिलेसिलाए परिधानों और मेड-अप्‍स के लिए मर्केंडाइज एक्‍सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया स्‍कीम (एमईआईए) दर को 1 नवम्‍बर, 2017 से 2% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। ब्‍याज समानीकरण योजना (आईईएस) में लदान पूर्व और लदान पश्‍च निर्यात ऋण पर 3% वार्षिक की ब्‍याज सब्सिडी का प्रावधान है। बाजार पहुंच पहल (एमएआई) योजना में निर्यातकों को विभिन्‍न अंतर्राष्‍ट्रीय आयोजनों में भाग लेने और घरेलू आयोजनों में खरीददारों को आमंत्रित करने के लिए सहायता प्रदान करने का प्रावधान है। अपैरल उत्‍पादों के लिए अग्रिम प्राधिकार और निर्यात संवर्धन पूंजी माल योजना (ईपीसीजी) के तहत आयात पर आईजीएसटी की छूट दी गई है।

**(ग) और (घ):** पिछले 16 महीनों में एमएमएफ परिधानों का किया गया निर्यात निम्‍नलिखित तालिका में दर्शाया गया है:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **निर्यात (अमरीकी मिलियन डॉलर में)** | **जून, 2015 – सितंबर 2016 (16 माह)** | **अक्‍तूबर, 2016 - जनवरी, 2018 (16 माह)** | **वृद्धि (%)** |
| एमएमएफ परिधान | 5692 | 6706 | 18% |

\*\*\*\*